

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो शाम समृद्धि की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में महत्व करती है। (ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले शाम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा समर्कोर्टीन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तारीख: ०९/०३/२५

शाम सभा में अनुमोदन की तारीख: ०९/०३/२०२५

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: ०९/०३/२०२५

2. शाम का नाम: लेलभा

शाम पंचायत का नाम: लेलभा

इलाका का नाम: अदृत गंगा

ज़िला का नाम: लखनऊ पुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

शाम जनगणना वर्ष:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. शाम पंचायत संकल्प

3. शाम समृद्धि की आकांक्षा: ०२... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ०२... (संख्या) कपड़े धोने/स्वानन करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् १०. घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले.... एवं पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष २०२५ तक लेलभा ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एक.एच.टी.सी. प्रदान करना।

हम, शाम समृद्धि के लोग, अपनी अंतःशाम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनाव, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृढ़ित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने ग्रामीणों को बचाएंगे।

यह संकल्प सिया जाता है कि पूँजी लागत का १० %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिवर्णित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी.डी.आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. शाम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति ग्राम में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(शाम पंचायत और या इसकी उप-समिति): प्रेम जल लैप रेटर इंस्टीट्यूट

समिति को क्या कहा जाता है: प्रेम जल लैप रेटर इंस्टीट्यूट लीमोटे लेन्ड

अध्यक्ष का नाम:

प्रिया

दिन: माह: वर्ष:

आयु: ३५

सदस्य का नाम

लिंग

आयु

100
FEC

पंचायत अधिकारी

पंचायत अधिकारी

पंचायत अधिकारी

III. सामाजिक विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:	1592
जनसंख्या	266
परिवारों की संख्या	804
पुरुषों की संख्या	788
बच्चों की संख्या	357
एक.एच.टी.सी. की संख्या	

वर्तमान वयायत्त आगमनवाही रिकॉर्ड के अनुसार:	1751
वर्तमान जनसंख्या	292
परिवारों की संख्या	884
महिलाओं की संख्या	866
बच्चों की संख्या	392
एक.एच.टी.सी. की संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
- वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मरीची संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि कफल पैटर्न: _____

प्रमुख कफल	छारीक	रवी
गन्ना		✓
घास	✓	
मवक्का		
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि.भी.मी.): _____

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): _____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविक किया गया है? (हाँ/नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानविक संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानविक किया गया है? (हाँ/नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानविक संलग्न करें)

1. स्कूल	2. आगमनवाही	3. राजस्व बेन्द	4. ग्राम वयायत्त मवन	5. ग्रन्थ	क्या एक.एच.टी.सी. क्या वर्षा जल संचयन सरकारी उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) _____	क्या एक.एच.टी.सी. क्या वर्षा जल संचयन सरकारी उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) _____	क्या एक.एच.टी.सी. क्या वर्षा जल संचयन सरकारी उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) _____	सोसदा गड्ढी की उपलब्धता? (हाँ/नहीं) _____	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

H. S. Patel

प्रधानमंत्री कार्यालय

मिस्टर बी. बी. बोल्डर

प्रधानमंत्री कार्यालय

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर 295.39 के प्रति.

मर्वेशीयों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 9.41 के प्रति.

मर्वेशी कड़ी की आवश्यकता:

माध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 384.56 के प्रति.

अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 389.91 के प्रति.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घकवातबाड़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैदाने पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति. नहीं चर्चापान युटोबूट जल आपार्टमेंट नंबर १८५। नंबर १८५।

17. आपार्टमेंट व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: गाहिया, डायरिया, बुरुचार, पीलिया, फिडी।

पानी की गुणवत्ता

20. फिल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सीनिट्रो निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (छोती) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	इश्य तुलना	1.86
पीएच	पही रंग तुलना	7.84
पूर्ण लवणता	टिट्रोमेट्रिक विधि	2.76
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रोमेट्रिक विधि	3.29
बलोराइड	टिट्रोमेट्रिक विधि	17.02
अमोनिया	इश्य रंग तुलना	
फास्फेट	इश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट बलोरीन	इश्य रंग तुलना	
आयरन	इश्य रंग तुलना	
नाइट्रोट	इश्य रंग तुलना	
मलोराइड	इश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	इश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्वान करने का स्थान

23. यह संमावना है कि गाँव के कुछ ग्राम इतावर्ती में कपड़े धोने के लिए और/ या नस क्लोक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की सांख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्वान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम

पर्ती की संख्या

आवादी

8/2017
PC



प्रधान सचिव
नियमित समिति
नंबर १८५।

खोल स्थायित्र

24. भू-जल योजने के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हौं/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल संग्रहीत की सूखी जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है गंदसे जल का प्रबंधन
26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 192.00 के एवं दौ.
- अलग-अलग सोखत गड़ी वाले परिवारों की संख्या: 14
- उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड़ी की आवश्यकता है: 17
- आवश्यक सामुदायिक सोखता गड़ी की संख्या: _____
- क्या अपशिष्ट ललछट तालाब की आवश्यकता है? (हौं/नहीं): नहीं
- यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अधिनियमित किया गया है: नहीं
- यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बैन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस क्षेत्री के तहत एक.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पूर्वी के लिए पूर्वी एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - नियमित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिंग वाटर स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.टी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.टी.एस.
 - वाटर गिड/सेबीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एन.आर.डी.एस.
 - नियमी सौर ऊर्जा आधारित औ.डब्ल्यू.एस. जो एकलन्त्राआदिवासी वस्तियों में स्थित है
28. अधिनियमित जल योजनाजल खोली तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: की चाहुं व्याप्ति पेचायत ग्रन्ति व्याप्ति
इस योजना के लिए अधिनियमित ग्रन्ति: व्याप्ति पेचायत लरवमा
वह तारीख, जिस पर यह ग्रन्ति पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____
योजना की लागत: 10%, भारत सरकार का हिस्सा: 50%, राज्य का हिस्सा: 50%
समुदाय का हिस्सा: 10%. व्यवितरण घरेलू मासिक जल शुल्क
वार्षिक प्रधालन व रख-खाल शुल्क: _____ व्यवितरण घरेलू मासिक जल शुल्क
प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट है तो, अधिनियमित
पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि नियमि मेल-जौल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अधिनियमित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम	केन्द्रीय सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित
चौथा किल्ट	ग्राम पंचायत	वाटर मैटरेट,	प्रोजेक्ट रिस्टर
आयोग		डोज रिस्टर आदि।	
स्वच्छ भारत	पेयजल और स्वच्छता विभाग,	वाटर मैटरेट-सोखत महौल	(व्यवितरण / सामुदायिक),
प्रिक्स - यामीय	जल अधिकार मंत्रालय	(व्यवितरण / सामुदायिक),	अलर्जिट ललछट तालाब आदि।
(एस.टी.एम.-टी)			पार्श्वीक संसाधन परिवर्तन (एस.आर.एस.)
एस.टी.एम.आर.टी.टी.एस.	यामीय विभाग मंत्रालय	पटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ।	

योजना का नाम	फैसला/राज्य सरकार का विभाग	समावित गतिविधियाँ जो भुग्न की जा सकती हैं	प्रस्तावित नियम
एकीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यवहार (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन आर.डब्ल्यू.एच. कृषि पुर्कीण, जल निकासी का नियोजन वृद्धि आदि।	161
जल भड़ारी की मरम्मत, नवीनीकरण और जीणीद्वारा	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	इडे जल भड़ारी का जीणीद्वारा	K
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.डी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विसाजन कल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	161
प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विसाजन कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक उपत वाली विभिन्न कालीन के लिए सूखम-सिवाई का प्रबंधन, एकीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	161
क्षतिशुल्क बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण	पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	कौशल, जल परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, बॉटरशेड विकास, आदि।	161
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	161
समय शिक्षा	समय संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रबंधन	161
आकांक्षी जिला कर्यवहार	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विकासीन नियियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	161
जिला खनिज विकास नियम (डी.एम.ए.ए)	राज्य	इडे फैग्ने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	161
एम.पी.ए.ए.टी.	साइंस की और कार्यवहार कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्याम अवसरणा	
एम.ए.ए.ए.ए.टी.	राज्य	अंतर्याम अवसरणा	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुटान/अनुजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जलजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्याम अवसरणा	
द्रव्यादानप्रायोजन			

नियम
प्रबंधन
विकास
नियम

Neel
Ract
PC

नियम
प्रबंधन
विकास
नियम

Neel
Ract
PC

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): Brij Bhushan Yadav ⑨

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी.पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर: ग्रामपंचायती मेमी - 6393721677

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. सविती: ८०/० संतराम - फोन नं.- ९५५४५९ ८६६६
 2. तारा मति ८०/० संतराम - - ९५५४५९ ८०८६
 3. दुड़ा ८०/० लक्ष्मी उसद - " - ९९१८ ५८२६७०
 4. रमापति ८०/० तुलाराम - " - ८७९५ ४०३१२३
 5. फूल मति ८०/० कुन्नन - .. - ९९८४८४३०४५
- पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: मनोज कुमार - जिता - खारग - ७५७२०३३ ३९९



पंचायत अधिकारी
पंचायत - ८०/०
फोन नं.- ९५५४५९ ८६६६
जनपद - बलरामगढ़

*Recd/H
PC*